न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 130\2020

1. कालुराम पुत्र आसुराम जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. तुलछाराम पुत्र आसुराम जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. गणेशाराम पुत्र आसुराम जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
4. किसनाराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

1. सरस्वती पुत्री रामकरण जाति ब्राहम्ण निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. भगवती पुत्री मथुरा जाति ब्राहम्ण निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
3. उप पंजीयक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

5. भूरीदेवी पत्नि आसुराम जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
6. रूखमा पुत्री आसुराम जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
7. जमनादेवी पत्नि रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
8. राजुराम पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
9. भागीरथ पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
10. मैना पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
11. मुकेश पुत्र रामेश्वरलाल नाबालिग आयु 16 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका अपनी माता जमनादेवी पत्नि रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
12. सुनील पुत्र रामेश्वरलाल नाबालिग आयु 14 वर्ष जरीये प्राकृतिक संरक्षिका अपनी माता जमनादेवी पत्नि रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक, संशोधन एवं चिर निषैधाज्ञा डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही।
3. गौण प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 की ओर से दिनदयाल प्रजापत एडवोकेट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30\12\2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैः–कि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 37 सेंतीस तादादी 3.7560 तीन दशमलव सात हजार पांच सौ साठ हेक्टेयर भूमि वाके रोही साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

वाद में आगे वादगत भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वादीगण/गौण प्रतिवादीगण के पिता/दादा/पति/ससुर आसुराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू ने प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ की माता/नानी श्रीमति गोमती पत्नि स्व. रामकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू से वादगत भूमि वाके रोही साण्डवा खेत खसरा संख्या 37 सेंतीस तादादी 3.7560 तीन दशमलव सात हजार पांच सौ साठ हेक्टेयर भूमि सम्पूर्ण जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1982 कार्यालय उप पंजीयक सुजानगढ के आधार पर खरीद की थी। आसुराम द्वारा उक्त भूमि खेत खरीद करने के बाद उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण करवाने हेतु उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र की फोटो प्रति पटवारी हल्का को दी थी। लेकिन पटवारी हल्का ने उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र का आज दिनांक तक नामान्तरकरण नहीं किया है। वादीगण/गौण प्रतिवादीगणके पिता/दादा/पति/ससुर आसुराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू का स्वर्गवास हो चुका है। जब तक खातेदार आसुराम जीवित थे तब तक वादगत भूमि पर आसुराम का कब्जा काश्त था तथा आसुराम के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि पर लगातार वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। आसुराम के चार पुत्र रामेश्वरलाल, तुलछाराम, कालुराम, गणेशाराम तथा एक पुत्री रूखमा व एक पत्नि भूरीदेवी है। इस प्रकार आसुराम के कुल छः वारिस है अर्थात् वादगत भूमि में आसुराम के प्रत्येक वारिस का 1/6 हिस्सा है। आसुराम के स्वर्गवास के बाद से वादगत भूमि पर कब्जा काश्त लगातार वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का निर्बाद रूप से चला आ रहा है ओर वर्तमान में भी है। खेत खरीद करने के दिन से आसुराम ने विकेता गोमती से वास्तविक रूप से क्रय भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था। वादगत खेत का वर्तमान राजस्व रेकार्ड वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के मुकाबले गलत शुन्य एवं निश्प्रभावी है। घोषित किया जावे की वादीगण व गौण प्रतिवादीगण वादगत भूमि के खातेदार कृषक है। वादगत खेत खसरा संख्या 37 सेंतीस तादादी 3.7560 तीन दशमलव सात हजार पांच सौ साठ हेक्टेयर वाके रोही साण्डवा का वर्तमान राजस्व रेकार्ड गलत है। इसलिए वादगत खेत की खातेदारी में वर्तमान खातेदारों का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के नाम अंकित की जावे। वादगत खेत की खातेदारी वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित फरमायी जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 से वादगत भूमि का राजस्व रेकार्ड में संशोधन कराने का दिनांक 25.09.2020 को निवेदन किया। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने साफ तौर पर इनकार कर दिया ओर वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की ऐलानियां धमकियां दी। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से वादगत भूमि की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अपने नाम अंकित करावे जिसके लिए

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

...गण को कानुनी अधिकार प्राप्त है। वादीगण का वादगत खेत पर खरीद की दिनांक से आज ...नांक तक लगातार कब्जा काश्त है। इसलिए वादीगण को वादाधार वाद प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ऐलानियां धमकियां देने से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त है। वादीगण के साथ गौण प्रतिवादीगण का हित समान रूप से नियत है। गौण प्रतिवादीगण वर्तमान में गांव से बाहर होने के कारण उन्हें वाद में वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सका। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए वाद में उन्हे गौण प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। खातेदार गोमती पत्नि रामकरण व मथुरा पुत्री रामकरण का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 2 दौ है। कृषि भूमि की मालिक राजस्थान सरकार है। घोषणात्मक वाद में राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का धारा 80(2) सी.पी. सी. के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण एंव प्रतिवादगण द्धारा वादीगण को जबरन बेदखल करने की ऐलानियां धमकियां दिये जाने के कारण वाद तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए राजस्थान सरकार को 2 दौ माह की अवधि का नोटिस दिया जाना संभव नहीं है। इस कारण वादीगण द्धारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। दावा घोशणात्मक, राजस्व रेकार्ड में संशोधन एंव चिर निशेधाज्ञा डिकी प्राप्ती का है। वादगत खेत रोही ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारीत न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। आदि–आदि का दावा पेश कर दावा को डिकी करने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण व गौण प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजुद तामिल अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार राज ने राजहित नहीं होना अंकित किया है। गौण प्रतिवादी संख्या 5 ता 12 ने इकबाल जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद के समर्थन में वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1982 की फोटो प्रति व नकल जमाबंदी संवत 2076–2079 खाता संख्या 149 रोही साण्डवा की सत्य प्रतिलिपि पेश की है।

बहस वकुलान की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने मुताबिक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1982 के आधार पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर वादगत भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादीगण की ओर से वादगत भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

22.05.1982 के आधार पर क्रय करना तथा वादगत भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1982 से जाहिर होता है कि वादगत भूमि वादीगण के पिता आसुराम की जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय शुद्धा भूमि है। पंजीकृत विक्रय पत्र पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। क्रय शुद्धा भूमि की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के कानूनी अधिकारी है। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने मौखिक बहस में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.05.1982 के आधार पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने का निवेदन किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य है। इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली का गहन अध्ययन करने एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य प्रतित होता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि खसरा संख्या 37 तादादी 3.7560 हेक्टेयर वाके रोही साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू के वर्तमान राजस्व रेकार्ड से गोमती पत्नि रामकरण, मथुरा, सरस्वती पुत्रिया रामकरण जाति ब्राहम्ण निवासी साण्डवा का नाम हटाया जाकर उनकी जगह वादीगण व गौण प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। वादगत भूमि की खातेदारी भूरीदेवी पत्नि आसुराम, तुलछाराम, कालुराम, गणेशाराम, रूखमा पिता आसुराम हिस्सा 5/6 ब.हि.ब. जाति जाट निवासीगण ग्राम साण्डवा व जमनादेवी पत्नि रामेश्वरलाल, किसनाराम, राजुराम, भागीरथ, मुकेश, सुनील, मैना पिता रामेश्वरलाल हिस्सा 1/6 ब.हि.ब. जाति जाट निवासीगण ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण को जरीये चिर निषेधाज्ञा के वर्जित किया जाता है कि वो वादगत भूमि में किसी प्रकार से दखल नहीं करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार स्वंय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner